न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 97/2014

पुराराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी गोविन्दसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलांट

बनाम

1. शेर मोहम्मद पुत्र बाकर खां जाति मुसलमान निवासी फतेहपुर तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

––रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू–राजस्व अधि. 1956
विरूद्ध आदेश सहायक उपनिवेशन आयुक्त एवं आवंटन अधिकारी सूरतगढ दिनांक 15.10.1982

उपस्थिति–
श्री शिशपाल शर्मा अभिभाषक अपीलांट
श्री श्यामसुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक– 28-6-2019

1. प्रकरण तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक उपनिवेशन आयुक्त एवं आवंटन अधिकारी सूरतगढ ने अपने आदेश दिनांक 15.10.82 से प्रार्थी शेर मोहम्मद के नाम से चक 2 जी.डी.एस.एम. 80/13 के कि.नं. 1 ता 14 की 14 बीघा भूमि की लॉटरी निकाली गई। भूमि की कीमत रूपये 3675/– तय की गई एवं प्रार्थी को लॉटरी प्रणाली द्वारा आवंटित भूमि का निर्धारित प्रपत्र में आवंटन आदेश जारी करने के आदेश।

(A) उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की। अपील के साथ अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र एवं दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रा.पत्र मय शपथ पेश किया।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15.10.1982 से प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

को आवंटित की थी। उक्त भूमि का कब्जा काश्त अपीलांट के पास पूर्व से ही था। अधी. न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना, कोई सूचना दिये बिना , राज्य सरकार को नुकसान पंहुचाकर रेस्पों. सं. 1 को आवंटन कर दी जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अपीलांट के पास उक्त कब्जा काश्त सन 1980 से चला आ रहा है। यह रकबा सन 1988 के गजट में प्रकाशित है तथा सरकार द्वारा रकबा को विशेष आवंटन में आवंटन के प्रा.पत्र भी लिये हुए हैं। अपीलांट की विशेष आवंटन का प्रा.पत्र भी पेश किया हुआ है। अपीलांट इस रकबा को आवंटन करवाने का हकदार था। अतः अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर उक्त रकबा का अपीलांट को आवंटन करने का आदेश दिया जावे।

अपील देरी से पेश करने बाबत अपील के साथ दफा 5 का प्रा. पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसमें अपील देरी से पेश करने के समुचित कारण अंकित किये गये। अतः अपीलांट का दफा 5 का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

(I) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया उसके द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रा.पत्र 96 सीपीसी स्वीकार करने का निवेदन है।

(II) विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इसके अलावा अपीलांट ने यह अपील अपीलाधीन आदेश के खिलाफ लगभग 32 वर्ष विलम्ब से पेश की है। अतः अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस व अपील मीनों से स्वमेव स्पष्ट है कि अपीलांट का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा है। किन्तु उक्त भूमि गजट में प्रकाशित रकबा है जो विधिवत रूप से लॉटरी द्वारा 15.10.82 को शेर मोहम्मद नामक व्यक्ति को आवंटित हो चुका है।

(b) अपीलांट का उक्त भूमि में कोई हित नहीं है केवल कब्जा है, तो भी वह धारा 96 सीपीसी के तहत अपीलांट बन कर अपील में आया है वह भी 1982 से

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

23.04.2014 के बीच गुजरे 32 वर्ष बीतने के पश्चात जिसका कोई औचित्य व तार्किक कारण प्रदर्शित नहीं किया।

(c) अपीलांट स्वयं स्वीकार करता है कि रकबा गजट नोटिफाईड है तथा उसकी हैसियत अतिक्रमी की है, फिर भी शेर मौहम्मद आवंटी का कोई कब्जा आवंटन के बाद से नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाए। अपीलांट का यह तर्क कानून सम्मत नहीं है, ना ही विधि का नियम है कि अतिक्रमी कब्जाधारी के कब्जे को जोकि गजट नोटिफाईड रकबे पर है उसे नियमित किया जाए, स्वीकार योग्य नहीं है।

(d) लिहाजा अपीलांट की अपील ना केवल अनुचित रूप से काफी विलंब से प्रस्तुत की गई है और कानून सम्मत भी नहीं है। अतः मियाद बिन्दु पर एवं कानूनी दृष्टि से संधारणीय नहीं होने के कारण निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28-6-2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर